फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मांगुसिंह निवासी– ब्रम्हापुरी गांव–कोठारीया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमनद पिनकोड–313323

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 52/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई

दिनांक 21.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से जरिये क्रमांक/लो0सू0अ0प्रा0/2024/1258 दिनांक 14.08.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री मांगुसिंह नि0–ब्रम्हापुरी, नाथद्वारा द्वारा नाथद्वारा से रेलमगरा फतहनगर रोड पर ग्राम पंचायत कोठारीया की बायपास रोड के दोनो तरफ की जमीन की आराजी की जानकारी मय नजरी नक्शा(पंचायत भवन से माली मोहल्ला चोक तक) चाही गयी थी। इस कार्यालय के पंत्राक/सू0अ0/2024/943 दिनांक 15.07.2024 द्वारा कोठारीया की बायपास रोड के दोनो तरफ की जमीन की आराजी का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करा दी गई है नजरी नक्शा का रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में संधारित नही किये जाने से उपलब्ध नही कराया गया। इस कार्यालय के पंत्राक/सू0अ0/2024/943 दिनांक 15.07.2024 व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति भिजवाई गई है। किन्तु दिनांक 02.08.2024 को अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार नाथद्वारा ने अपने पत्र क्रमांक पंत्राक /सू0अ0/2024/943 दिनांक 15.07.2024 से उपलब्ध करायी गयी सूचना अपूर्ण है तथा उपलब्ध नक्शा ट्रेस बॉयपास रोड का अंकन/मार्किंग नहीं की गई है ना ही तहसीलदार महोदय के हस्ताक्षर है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना अपीलार्थी को जरिये पंत्राक/सू0अ0/2024/943 दिनांक 15.07.2024 द्वारा कोठारीया की बायपास रोड के दोनो तरफ की जमीन की आराजी का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है किन्तु नक्शा ट्रेस मय सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नही कराने से तहसीलदार नाथद्वारा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं के संबंध में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निरीक्षण कराकर उनकी प्रमाणित प्रतिलिपी नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद